

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 23.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 80,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.10.2022 को वादिया ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र मदन निवासी ग्राम हसनपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर ने वादिया की नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर छेडखानी की गयी। इस संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 140/22 धारा 452/354/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.10.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो अधिनियम, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 140/22 धारा 452/354/504/506 भादिव व 8 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 80,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन किन्वक्शन" के अन्तर्गत मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सिम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- देवेन्द्र पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना रेहड जनपद बिजनौर।



"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 08.08.2019 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र सलेकचन्द निवासी ग्राम छकडा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि समय सांय करीब सात बजे वादी के चाचा का लड़का छत्रपाल पुत्र मथुरा सिंह अपने घर चारपाई पर लेटा हुआ था। इसी दौरान रामबहादुर पुत्र दयाराम निवासी ग्राम छकडा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने गाली-गलौच करते हुए छत्रपाल के उपर चाकू से कई वार किये, जिससे छत्रपाल गंभीर रुप से घायल हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु030सं0 229/19 धारा 307/504/506 भादवि बनाम रामबहादुर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। उपचार के दौरान रामबहादुर उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 307 भादवि का लोप कर धारा 302 भादवि की वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.10.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-03, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 302/504/506 भादवि के आरोपी अभियुक्त रामबहादुर पुत्र दयाराम निवासी ग्राम छकडा थाना मंडावर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व ₹ 10,000 /- के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता -

रामबहादुर पुत्र दयाराम निवासी ग्राम छकडा थाना मंडावर जनपद बिजनौर



"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 32,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

<u>कार्यवाही –</u>

दिनांक 18.07.2021 को वादिनी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त धीरे सिंह पुत्र छोटे सिंह जाट निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खेत में रास्ते से जाते समय वादिनी की माताजी व भाभी के साथ जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गलौच की गई, गाली गलौच का विरोध करने पर अभियुक्त धीरे सिंह ने अपने हाथ मे लिए फावडे से वादिनी की माताजी व भाभी पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वादिनी की माताजी बेहोश हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 442/21 धारा 323/324/308/504 भादिव व धारा 3(1)(द)/3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट बनाम धीरे सिंह उपरोक्त व एक व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.10.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 323/324/304/504 भादवि के आरोपी अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरे सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कारावास व र 32,000/- के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता -

धीर सिंह उर्फ धीरे सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 259/2024 धारा 137(2)/127(2)/351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 03.10.2024 वादी ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त गुल्लू पुत्र कल्लू नि0 ग्राम लिब्बाहेडी थाना मंगलोर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया । तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अपहृता को दिनांक 04.10.2024 को बरामद किया गया तथा दिनांक 12.10.2024 को अभियुक्त गुल्लु पुत्र कल्लू उपरोक्त को



गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त आजाद पुत्र मेहरबान नि0 ग्राम राजूपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया तथा अभियोग मे धारा 127(2)/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही -

आज दिनांक 23.10.2024 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आजाद पुत्र मेहरबान नि0 ग्राम राजूपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आजाद पुत्र मेहरबान नि0 ग्राम राजूपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

- 1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2. का० 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3. का० ८७७ रोशनलाल थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर प्रेस नोट — थाना चांदपुर

दिनांक - 23.10.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 572/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/ 118(1)/324(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

<u>संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 22.10.2024 को वादी अकरम कुरैशी पुत्र मुस्तकीम अहमद निवासी मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चाँदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.10.2024 को अभियुक्तगण 1.फकरूद्दीन 2.रिहान 3.आरिफ 4.रिजवान पुत्रगण बदरूद्दीन निवासीगण मौ0 सरायरफी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर व 20-25 व्यक्ति अज्ञात द्वारा एकराय होकर अवैध हथियारों से लैस होकर गाली



गलौच करते हुए वादी की बाऊण्ड्रीवॉल को गिरा दिया तथा वादी व मौके पर मौजूद संजीव एवं सैफ के विरोध करने जान से मारने की नियत से मारपीट की गयी, जिसमें संजीव तथा सैफ का कान कट गया व जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 572/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109/118(1)/324(2) बीएनएस बनाम फकरुद्दीन आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

आज दिनांक 23.10.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1.फकरुद्दीन 2.रिहान पुत्रगण बदरूद्दीन निवासीगण मौ० सराय रफी करूबा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता 🗕

- 1.फकरुद्दीन पुत्र बदरूद्दीन निवासी मौ० सराय रफी करूबा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 2.रिहान पुत्र बदरूद्दीन निवासी मौ० सराय रफी कर्खा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

- 1.उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चाँदप्र जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक - 23.10.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 515/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/221/132/ 352/351(2)/194(2)/125 बीएनएस व 25/27/29 आर्म्स एक्ट व 7 सी0एल0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.10.2024 को सहकारी गन्ना समीति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन हेतु सहकारी गन्ना विकास समीति लि0 आदर्शनगर थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में दो पक्षों द्वारा अलग अलग रास्तों से मतदान केन्द्र के गेट पर आकर एक दूसरे के मतदाताओं को अपने-अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने को लेकर आपस में गाली गलौच व पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए बलपूर्वक कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न की गयी। इसी दौरान दोनो पक्षों द्वारा एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हुए अपने लाईसेंसी व गैर लाईसेंसी असलहों से जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी तथा लाठी



डण्डो, फावडे व ईट पत्थर से पथराव कर एक दूसरे को मारने पीटने लगे। घटना के सम्बन्ध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 515/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/221/132/352/351(2)/194(2)/125 बीएनएस व 25/27/29 आर्म्स एक्ट व 7 सी0एल0 एक्ट बनाम संदीप पहलवान आदि 20 नामजद व 15-20 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

आज दिनांक 23.10.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त बृजवीर सिंह पुत्र गिरवर सिंह निवासी ग्राम चमरौला थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बृजवीर सिंह पुत्र गिरवर सिंह निवासी ग्राम चमरौला थाना नांगल जनपद बिजनौर

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री हिमांशु पंवार थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1223 रजत थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 5.कां0 1650 अमजद थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 6.कां0 2576 अमित थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 7.कां0 2594 गौरव कुमार थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 8.कां0 1775 विजय थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर
- 9.कां0 1425 निखिल थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर



थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 414/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109/115(2)/125 बीएनएस व 7 सी0एल एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.10.2024 को थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम ताजपुर के मौहल्ला खलियापार में जमीन की पैमाइश को लेकर दो पक्षों के 1.रामगोपाल पुत्र मोक्खा सिंह 2.लोकेश पुत्र रामगोपाल 3.दीपक पुत्र रामगोपाल 4.प्रमोद पुत्र रामगोपाल 5.विश्वदेव पुत्र जयप्रकाश 6.दिग्विजय पुत्र जयप्रकाश 7.महेशचंद पुत्र जयप्रकाश 8.जयप्रकाश पुत्र लखपत समस्त निवासीगण मौहल्ला खलियापार ग्राम ताजपुर थाना नूरपुर जिला बिजनौर द्वारा एक दूसरे पर लाठी डण्डों व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वार किया तथा एक-



दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके गये । इस सम्बंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 414/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109/115(2)/125 बीएनएस व 7 सी0एल एक्ट बनाम रामगोपाल आदि 08 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

आज दिनांक 23.10.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विश्वदेव पुत्र जयप्रकाश निवासी मौहल्ला खलियापार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विश्वदेव पुत्र जयप्रकाश निवासी मौहल्ला खलियापार राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

- 1.उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2215 जितेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1978 अरविन्द कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ

दिनाँक 23.10.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तारा

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 23.10.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त अमर सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 328/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

अमर सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम सीरवासुचन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमर सिंह उपरोक्त —

- 1. मु0अ0स0 122/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2. मु0अ0स0 175/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3. मु0अ0स0 187/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 4. मु0अ0स0 218/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 5. मु0अ0स0 309/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 6. मु0अ0स0 328/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

10 ली0 अवैध कच्ची शराब

- 1. हे0का0 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2.हे0का0 662 प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।